सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-333/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 29 अगस्त 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी/अवैध असलहा/बलात्कार/आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरादमगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना-रानी की सराय

बलात्कार के मुकदमे में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

दिनाकं- 07.08.20 को समय 17.52 बजे वादी श्री गणेश राजभर पुत्र फागू राजभर ग्राम नत्थुपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.08.20 को रात्रि में अभियुक्त अरविन्द राजभर पुत्र विशुन राजभर ग्राम रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ व अरुनराजभर, बरुनराजभर, अर्जन राजभर पुत्र गण विशुन राजभर व विशुनराज भर पुत्र बुद्धूराजभर व हौसिला पत्नी विशुनराजभर के द्वारा मेरी पुत्री को बहला- फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 105/20 धारा 363/366 भादवि बनाम अरविन्दराजभर, अरुन राजभर, बरुन राजभर, अर्जन राजभर पुत्रगणविशुनराजभर व विशुन राजभर पुत्र बुद्धू राजभर व हौसिला पत्नी विशुन राजभर समस्त निवासीगण ग्राम रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था पीड़िता की बरामदगी के पश्चात मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे 376 भादविव¾ पास्कोएक्ट की बृद्धि की गयी। जिसकी विवेचना उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के रोकथाम के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री रामायण सिंह के नेतृत्व मे उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार यादव मय हमराही फोर्स के साथ चेकपोस्ट पर अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत हो रही थी कि मुखबीर द्वारा सुचना मिली कि ग्राम नत्थुपुर से लड़की भगाकर ले जाने वाला अभियुक्तअरविन्द राजभर पुत्र विशुन राजभरग्राम रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ कोटिला तिराहे पर खड़ा है कही भागने की फिराक में किसी वाहन का इन्तजार कर रहा है इस सुचना पर विश्वास करके त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँच कर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरविन्द राजभर पुत्र विशुन राजभर ग्राम रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान – कोटिला तिराहासमय 11.30 बजे दिनांक 29.08.20

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त से पूछताछ किया गया तो बताया कि साहब हमे आपसे कुछ नही कहना है मै अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0न्यायालय के समक्ष पेश करूगा।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 105/20 धारा 363/366/376भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- अरविन्द राजभर पुत्र विशुन राजभर ग्राम रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराह थाना-रानी की सराय, आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतुस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दि0 29/8/20 को उ0नि0 अखिलेश चन्द पाण्डेय मय हमराह का0 दिवाकर सिह व का0 उमाशंकर पटेल के साथ विनावर देखभाल क्षेत्र ,तलाश वाछित अपराधी/वारन्टी क्षेत्र मे मामूर था व त्योहार मुर्हरम के दृष्टिगत भ्रमण शील था कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति भादो चौराहा मोड , चितारा मार्टिनगंज रोड पर अवैध असलहा लेकर खडा है कही जाने की फिराक मे साधन का इन्तजार कर रहा है यदि जल्दी किया जाए तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 हमराही गणो को मुखबिर की मंशा से अवगत कराते हुए हमराही गणो मय मुखबिर के भादो मोड चौराहा के कुछ पहले अपनी मौजुदगी छिपाते हुए पहुचा कि मुखबिर खास ने ईशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है और हट बढ गया कि मै उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण के एक बारगी दबिश देकर जैसे ही उस खडे हुए व्यक्ति के पास पहुचे तो खडा हुआ व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखकर चितारा गाव की तरफ भागना चाहा कि हम पुलिस वालो ने उस व्यक्ति को घेरकर आवश्यक बल का प्रयोग कर लगभग 8 कदम पर पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सादाब उर्फ साहिल S/O इस्तियाक अहमद नि0 चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए जीन्स के पैन्ट की दाहिने फेट से एक अदद तमंचा .315 बोर बरामद हुआ तथा पैण्ट की बायी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है गिरफ्तारी का समय 05.55 बजे है।

पूछताछ विवरणः- अभियुक्त सादाब उर्फ साहिल S/O इस्तियाक अहमद नि0 चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ अपनी सफाई मा0 न्यायालय में जरिये अधिवक्ता देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

1- मु0अ0स0 140/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तः

1- सादाब उर्फ साहिल S/O इस्तियाक अहमद नि0 चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी –

1- एक अदद तमंचा नाजायज.315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना-दीदारगंज, आजमगढ़